न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 03/2020

प्रार्थीगण
1. जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह
2. पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक, तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम हेतु रेकर्ड दुरूस्ती तहत् प्रकरण दर्ज कर शुद्ध एवं सम्मानजनक इन्द्राज "जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह एवं पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह" दर्ज किये जाने का आदेश करवाने बाबत्।</u>

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम आकवल अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/03/20

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक आवेदन दिनांक 08.08.2019 को तहसील कार्यालय सिवाना में प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम मूठली के खेत खसरा नम्बर 426, 428, 429, 430, 449, 452, 509, 606 कुल रकबा 10.7811 में प्रार्थी एवं उनकी माता का नाम "जबराराम पुत्र उतमाराम एवं पवनोदेवी पत्नी उत्तमाराम" दर्ज है जबकि प्रार्थी एवं उनकी माता का शुद्ध एवं सही नाम अन्य रिकार्ड यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि में "जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह एवं पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह" दर्ज है। प्रार्थी के आवेदन की तहसीलदार सिवाना द्वारा निरीक्षक (भू.अ.) थापन से जांच करवाई गई, हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिर्पोट तहसील में प्रस्तुत हुई। रिर्पोट अनुसार ग्राम मूठली के नामान्तरण संख्या 240/27.05.84 द्वारा प्रार्थी एवं उनकी माता का नाम "जबरा पुत्र उत्तमा एवं पवनो बेवा उत्तमा" दर्ज किया गया है जो अशुद्ध एवं असम्मानजनक है। उक्त प्रकरण तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से तहसील में रूका हुआ है। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण नाम दुरूस्ती हेतु पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थी (भूमि धारक तहसीलदार सिवाना) ने अपनी रिर्पोट कमांक–भू.अ./2020/257 दिनांक 04.02.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूठली के नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 27.05.84 द्वारा प्रार्थी एवं उनकी माता का नाम "जबरा पुत्र उतमा एवं पवनो बेवा उतमा" दर्ज किया गया जो अशुद्ध एवं असम्मानजनक था। वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के एवं उनकी माता का नाम जबराराम पुत्र उतमाराम एवं पवनीदेवी पत्नी उतमाराम दर्ज है। पटवारी एवं भू.अ.नि. थापन

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

द्वारा रिकार्ड से जांच करते हुए राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 19 दिनांक 18.06.2007 के अनुसार प्रार्थीगण के आवेदन पर शुद्ध व सम्मानजनक नाम दर्ज करने की अनुशंषा की है। प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होने से नाम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकर्ड एवं भूमिधारक तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विप्रार्थी (भूमि धारक तहसीलदार सिवाना) की रिर्पोट से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं उनकी माता का नाम अन्य रिकार्ड यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि में "जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह एवं पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह" दर्ज है एवं राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत 2071–2074 ग्राम मूठली के खाता संख्या 292 में जबराराम पुत्र उतमाराम व पवनोदेवी पत्नी उतमाराम दर्ज है। भूमि धारक तहसीलदार सिवाना की स्पष्ट अनुशंषा अनुसार प्रार्थीगण का सही व शुद्ध नाम जबराराम पुत्र उतमाराम व पवनोदेवी पत्नी उतमाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में भी "जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह एवं पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह" शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मूठली पटवार क्षेत्र थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 426, 428, 429, 430, 449, 452, 509, 606 कुल रकबा 10.7811 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 का अशुद्ध नाम "जबराराम पुत्र उतमाराम" के स्थान पर जबरसिंह पुत्र उत्तमसिंह एवं प्रार्थी संख्या 2 का अशुद्ध नाम पवनोदेवी पत्नी उतमाराम के स्थान पर "पवनीदेवी पत्नी उत्तमसिंह" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार सिवाना में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना